कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं.— 07662—241655 ई—मेल— deanmcrewa@rediffmail.com
फैक्स न.— 07662—251167 वेबसाइट—www.ssmcrewa.com

क्रमांक 2896/स्था/राज/एमसी/2023 रीवा, दिनांक 31/1/23

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्र. 1950/स्था/राज/एमसी/2023, रीवा, दिनांक 19.01.2023 के अनुक्रम में दिनांक 27.01.2023 को संपन्न साक्षात्कार में चयन समिति की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में उनके नाम के समक्ष दर्शित विभागों में **सीनियर रेसीडेंट** के पद पर स्टायपेंड रू. 80,811/— प्रतिमाह में निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाती हैः—

स. क्र.	उम्मीदवार का नाम, पिता/पति का नाम एवं पता	आवेदक की श्रेणी	विभाग	चयनित श्रेणी	रिमार्क
1.	डॉ. अदिति राजन, पति डॉ. शुभम मिश्रा, **पताः**— श्री महामृत्युंजय भवन, एम.आई. जी. 3/12/134, नेहरू नगर, रीवा, म. प्र., पिन 486001	अनारक्षित	जनरल मेडिसिन	ई.डब्ल्यू.एस के विरूद्ध	विज्ञापित श्रेणी का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण
2.	डॉ. अंकिता दुबे, पिता श्री व्ही.पी. दुबे, न्यू डॉक्टर कॉलोनी, रीवा, म.प्र., पिन 486001	अनारक्षित	बाल्य एवं शिशु रोग	अन्य पिछड़ा वर्ग के विरूद्ध	

शर्तेः—

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, जो तीन वर्ष की टेन्युवर अवधि के लिए प्रथमतः एक वर्ष के लिये होगी।
2. नियुक्ति आदेश जारी होने के **07 दिवस** के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
3. एक वर्ष पश्चात् विभागाध्यक्ष से सन्तोषजनक कार्य—व्यवहार की सूचना के आधार पर पुनः 12 माह के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा।
4. तीन वर्ष के टेन्युवर अवधि उपरांत सेवायें स्वयमेव समाप्त हो जावेंगी।
5. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के इनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी एवं पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।
6. निजी व्यवसाय (Private practice) करने की अनुमति नहीं होगी।
7. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसकी एवज में एक माह का अग्रिम मानदेय देकर सेवायें समाप्त की जा सकती है।
9. इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति को एक केलेण्डर वर्ष में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं सप्ताह में एक दिन के अवकाश की पात्रता होगी तथा यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश देय नहीं होगें, तथा निर्धारित पात्रता के अतिरिक्त कर्तव्य से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

क्रमशः पेज...02

10. पेंशन एवं तत्संबधी कोई लाभ देय नहीं होगा।
11. नियुक्ति की अवधि में मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधान लागू रहेंगे।
12. नियुक्ति की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
13. पूर्व से शासकीय सेवा में होने की स्थिति में उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता का कार्यमुक्ति आदेश/सेवा से त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
14. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप सेवा के अयोग्य पाए जाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। इस आशय का सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एफ.सी. 3–15/2012/1/3, दिनांक 24.11.2012 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी एवं पी.जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ/सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. **कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उपस्थित दिनांक से 15 दिवस के अंदर म.प्र. मेडिकल काउंसिल, भोपाल का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अंकसूची जमा कर दी जावेगी। निर्धारित तिथि तक पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अंकसूची जमा न करने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।**
17. संस्था की आवश्यकतानुसार अस्थाई रूप से कार्य करने हेतु अन्य विभाग में ड्यूटी लगाई जा सकेगी।
18. कोविड–19 महामारी को देखते हुये आवश्यकता अनुसार कोविड–19 वार्डो में विशेषज्ञता/योग्यतानुसार ड्यूटी लगायी जा सकेगी।

नोट – प्रमाणित किया जाता है कि इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी प्रावधानों का पालन किया गया है ।

(डॉ. देवेश सारस्वत)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

पृ.क्र ..../स्था/राज/एमसी/2023, रीवा, दिनांक ....

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा।
3. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, गांधी स्मारक चिकित्सालय, रीवा।
4. विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन एवं बाल्य एवं शिशु रोग विभाग।
5. अनुभाग लेखा शाखा की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित सीनियर रेसीडेंट की शिष्यावृत्ति भुगतान मांग संख्या 52–2210–05–105–8888 चिकित्सा शिक्षा, 4968 चिकित्सा महाविद्यालय –42 सहायक अनुदान–002, अन्य में विकलनीय होगी।
6. संबंधित की ओर वास्ते पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

D:\Old Computer\Senior&Junior Resident\SR&JR Selection Order.DOCX